[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

अधिसूचना

का0आ0 1830(अ)- वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 183, धारा 187 और धारा 190 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित तारीखें नियत करती है--

(i) 30 सितंबर, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले कोई व्यक्ति धारा 183 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा कर सकेगा ;

(ii) 30 नवंबर, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले अप्रकटित आय के संबंध में धारा 184 के अधीन कर और अधिभार संदेय हैं और धारा 185 के अधीन शास्ति संदेय है ;

(iii) 30 सितंबर, 2017 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले बेनामीदार, ऐसा व्यक्ति होने के कारण, जो ऐसी आस्ति के लिए प्रतिफल उपलब्ध करता है या उसका विधिक प्रतिनिधि घोषणाकर्ता को अंतरित कर देगा ।

अधिसूचना सं0 32/2016, फा0सं0 142/8/2016-टीपीएल

(एकता जैन)
उप सचिव, भारत सरकार